पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार 2023 का वाद संख्या- 11126

==========

सत्यम अभिषेक, अनिल कुमार मिश्रा का पुत्र, गाँव-पाली का निवासी, पी. ओ.-उट्रेन, थाना-कोंच, जिला-गया।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, रिजर्व शाखा, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023 के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अध्यक्ष केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल), 05, हार्डिंग रोड, पटना-800001।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023।

.....उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226 जनहित याचिका-बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पद के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए-योग्यता प्राप्त करने और आयु निर्धारण के उद्देश्य से निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर निर्णित किया गया कि कट-ऑफ तिथि तय करने और अधिकतम एवं न्युनतम आयु सीमा के रुप में शर्त को पूरा करने में कोई मनमानी नहीं पाते हैं-यह नियुक्ति प्राधिकरण पर है कि वह ऐसी शर्तों को निर्धारित करे। योग्यता प्राप्त करने और आयु की शर्त को पूरा करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में कोई, मनमानीपन नहीं है-याचिका को प्रारंभिक अवस्था में ही खारिज की गयी।

(पैरा 4)

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार 2023 का वाद संख्या- 11126

==========

सत्यम अभिषेक, अनिल कुमार मिश्रा का पुत्र, गाँव-पाली का निवासी, पी. ओ.-उट्रेन, थाना-कोंच, जिला-गया।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, रिजर्व शाखा, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023 के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अध्यक्ष केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल), 05, हार्डिंग रोड, पटना-800001।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023।

.....उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिएः कोई नही

प्रतिवादी के लिए: श्री पी. के. शाही शाही (एजी)

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तिथि: 11-08-2023

याचिकाकर्ता कथित रूप से जनहित में बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के पद पर उम्मीदवारों के चयन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देना चाहता है।कुल मिलाकर लगभग 21,391 रिक्तियां हैं जिनके लिए अनुलग्नक-2 के रूप में प्रस्तुत विज्ञापन जारी किया गया है। रिट याचिका में उठाया गया तर्क 01.08.2022 से संबंधित योग्यता शर्त के संबंध में है। यह तर्क दिया गया है कि अब तक हाल ही मे समाप्त हुए एकादमिक वर्ष 2022-23 में बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट पाठयक्रम (10 + 2 पाठ्यक्रम) में उत्तीर्ण हुए होंगे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित कट-ऑफ तिथि कई उम्मीदवारों को बाहर कर देती है जो वर्ष 2023 में पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होते।यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रोजगार में गारंटीकृत समानता में हस्तक्षेप करेगा।

2. जब मामला सुबह बुलाया गया और सुनवाई के लिए अलग रखने के बाद भी मामला उठाया गया, तब भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

3. हमने अभिलेखों का अवलोकन किया और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता (ए. जी.) को भी सुना। विद्वान ए. जी. ने पहली बार में बताया कि कट-ऑफ तिथि का प्रिस्क्रिप्शन बिहार सरकार के उस तारीख को भी आयु सीमा निर्धारित करने के निर्णय के अनुरूप था, जो विज्ञापन के खंड 17 से स्पष्ट है।चयन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आयु प्रिस्क्रिप्शन को 01.08 2022 के अनुसार सत्यापित किया जाना है और इसी तरह उस तारीख से संबंधित शैक्षिक आवश्यकताएं भी हैं।

4. हम योग्यता के अधिग्रहण के लिए एक कट-ऑफ तिथि तय करने और अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा के रूप में शर्त को पूरा करने में कोई मनमानी नहीं पाते हैं।यह नियुक्ति प्राधिकरण पर है कि वह ऐसी चीजों को निर्धारित करे और यदि कोई आभासी अभ्यास या मनमानी नही है। यह न्यायालय ऐसी शर्तों को दरकिनार नहीं कर सकती है।हमें यह

ध्यान रखना होगा कि राज्य, नियुक्ति प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में है और जब आवेदन 09.06.2023 पर लाया गया था, तो पूर्व तिथि निर्धारित करने में कुछ भी अनुचित नहीं है; वह भी योग्यता प्राप्त करने और आयु की शर्त को पूरा करने के उद्देश्य से तत्काल पूर्व वर्ष में।हम यह भी देखते हैं कि याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि शर्त किसी भी तरह से उसे उम्मीदवारी से अक्षम करती है।

5. हम जनहित में अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम रिट याचिका को शुरुआत में ही खारिज करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

अनुष्का/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।